ब कि गई। सम्बन्धित पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 01.05.2024 द्वारा रिपोर्ट प्रेषित की गई जो शामिल ल है। सम्यक तामील के बावजूद हाजिर अदालत नहीं आने पर अप्रार्थी 2 लगायत 8 के विरूद्ध एक का कार्यवाही अमल में लाई गई।

बहस उभयपक्ष अधिवक्ता की सुनी गई। दौरान–ए–बहस प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को राते हुये प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार कर आराजी की मुताबिक पैमाईश दिनांक 21.06.2023 के अनुसार रगढी के आदेश जारी करने का निवेदन किया तथा पुष्टि में जमाबंदी सम्वत् 2076 से 2079 खाता या 52 स्थित ग्राम ड्योढा चौड़, तहसील बस्सी जिला जयपुर की नकल पेंश की। वही वकील अप्रार्थी या 9 अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र में जाहिर तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र को खारिज किये हेतु निवेदन किया।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलबध ंदी सम्वत् 2076 से 2079 खाता संख्या 52 स्थित ग्राम ड्योडा चौड़, तहसील बस्सी जिला जयपुर के त इन्द्राज के अनुसार आराजी विवादित प्रार्थी की खातेदारी की आराजी होना साबित है। साथ ही न रिपोर्ट पैमाईश दिनांक 21.06.2023 व सम्बन्धित पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 01.05.2024 पेश रिपोर्ट ी यह तथ्य प्रार्थी साबित है कि प्रार्थी द्वारा तहसीलदार बस्सी के माध्यम से हल्का पटवारी से दिनांक 6.2023 को विवादित आराजी की पैमाईश कराई जा चुकी है। *Sec. 111. Decision of disputes as to ndaries (1) In case of any dispute concerning any boundaries the Land Records Officer shall ide such dispute, so far as possible, on the basis of the existing survey maps and where this is possible or such maps are not available, on the basis of actual possession.*

if in the course of an inquiry into a dispute under this section, the land records officer is ble to satisfy himself as to which party is in the possession or if it is shown that possession been obtained by wrongful dispossession of the lawful occupants within a period of three nths previous to the shall ascertain by summary inquiry who is the party best entitled to ssession and shall then fix the boundary accordingly-

*:.128. Boundary disputed- All disputed concerning bound-aries shall be decided by the land cords Officer in the manner laid down in section 111.*इसलिये प्रार्थी को अपनी आराजी की सुरक्षा पत्थरगढी के आदेश जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम 1956 खाता संख्या 52 खसरा संख्या 210/0.3161, 211/0.3035 हैक्टेयर स्थित ग्राम ड्योडाचौड़ तहसील बस्सी जिला जयपुर स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार बस्सी को आदेश जारी किये जाते है कि वो अपनी उपस्थिति में प्रार्थी के खर्चे पर पक्षकारान की उपस्थिति में विवादित आराजी की पुनः पैमाईश कर धारा 111 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार पत्थरगढी कराने की कार्यवाही करें। तहसीलदार बस्सी को पालना हेतु निर्णय प्रति भिजवाई जावें।

यह निर्णय आज दिनांक 28.10.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। ावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति जमा लेख भंडार हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
जयपुर ग्रामीण (राज.)

(ओम प्रकाश मीणा, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
बस्सी जिला–जयपुर
उपखण्ड अधिकारी बस्सी
जिला–जयपुर ग्रामीण